न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1094–एक/01 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.4.01 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 7/2000–01/अपील.

———

गुलाब खां पुत्र मुनीर खां
निवासी महूपुरा शाजापुर
तहसील व जिला शाजापुर ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी
महुपुरा शाजापुर परगना व जिला शाजापुर ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12–3–15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 7/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–4–01 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की रिर्पोट पेश होने पर उसे नोटिस दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाकर उसे बेदखल किए जाने एवं रूपये 1000/– अर्थदंड अधिरोपित किए जाने बावत आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपील पेश की जिसमें उन्होंने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता

की धारा 248 के अधीन निर्मित प्रकियात्मक प्रावधानों की पूर्णतः करते हुए नियमानुसार आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.4.2000 को आदेश पारित कर आवेदक पर 1500/– अर्थदण्ड आरोपित कर उसे शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में है । प्रकरण में आवेदक को 7 बार उत्तर प्रस्तुत करने का व अपनी साक्ष्य व पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है इसके उपरांत भी उसने पक्ष समर्थन नहीं किया और इस आधार कि आलोच्य भूमि वर्षों से उसके आधिपत्य में है उसको आलोच्य भूमि का भूमिस्वामी नहीं माना जा सक्ता क्योंकि शासकीय भूमि पर जो आधिपत्य है वह अतिक्रमण के रूप में ही होने से जो कार्यवाही उसके विरूद्ध की गई है वह विधिसम्मत है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को स्थिर रखा है । शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण व आवेदक द्वारा अपना स्वामित्व सिद्ध न करने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किए हैं उनके हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर